राजस्थान आवासन मण्डल

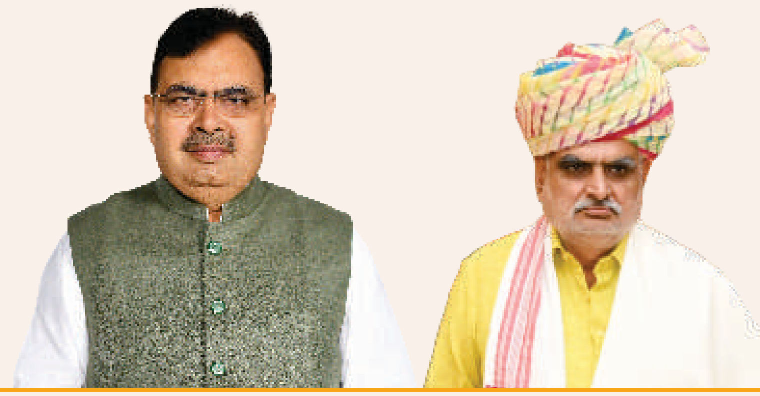

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय मंत्री,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

आवासीय योजना

बाडी रोड़, धौलपुर

स्ववित्त पोषित योजना–2025

Sector 4 RERA Registration No. RAJ/P/2023/2354
Sector 5 RERA Registration No. RAJ/P/2023/2362

हमारा प्रयास, सबको आवास

आवेदन अवधि: 12 मई से 11 जून 2025 तक

स्वतंत्र आवास - 13
उच्च आय वर्ग - 11
मध्यम आय वर्ग - 02

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अत: निर्विवाद रुप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।

मूल्य रु0 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना–2025

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर– 4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति का

कार्यक्रम

1.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र उपलब्ध	: 12 मई 2025 से
2.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	: 11 जून 2025 तक
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट **http:/rhb.rajasthan.gov.in** पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान	
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान	

सम्पर्क सूत्र

कार्यालय परियोजना अभियन्ता (वरि), राजस्थान आवासन मण्डल, उप खण्ड धौलपुर, बाड़ी रोड़, धौलपुर फोन : 8003563683	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–भरतपुर, 2–ए–1, एस.टी.सी. योजना भरतपुर फोन : 9983993863	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत–अलवर फोन नं. 0144–2332612

Sector 4 RERA Registration No. : RAJ/P/2023/2354

Sector 5 RERA Registration No. : RAJ/P/2023/2362

विशेष

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट **http:/rhb.rajasthan.gov.in** पर ऑनलाईन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– मे पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर सेक्टर 4 हेतु **AU SMALL FINANCE** बैंक के खाता संख्या **2211220700000050** में तथा सेक्टर 5 हेतु **AU SMALL FINANCE** बैंक के खाता संख्या **2211220700000051** IFSC कोड **AUBL0002207** में **AU SMALL FINANCE** बैंक की किसी भी शाखा में जमा करायी जा सकती है।
2. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं में आवेदन करने हेतु पंजीकरण राशि का भुगतान केवल RHBMS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगें। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है और ऑफलाइन भुगतान (चैक/डीडी) पोर्टल द्वारा जारी किए गए बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

   राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाते में किसी भी अन्य माध्यम (RTGS/NEFT/चेक/डीडी) से सीधे किए गए भुगतान मान्य नही होगें और इस प्रकार किए गए सभी आवेदनों को रद्द माना जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना–2025

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर–4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवासों हेतु

योजना की प्रस्तावनाः–

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

स्वतंत्र आवास ''स्ववित्त पोषित योजना–2025'' का विवरण

जयपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल ने समय–समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद सेक्टर 4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवास योजना का नियोजना किया गया है। इस योजना में कुल 13 स्वतंत्र आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु ''स्ववित्त पोषित योजना–2025'' के अन्तर्गत पंजीकरण आमंत्रित किये जा रहे है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका –1

सेक्टर–4, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवासों की संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	माप (मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फिट)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	MIG-B	01	8.00 X 16.00	97.50	1049.00	51.00
2.	HIG	04	10.00 X 20.00	122.97	1323.00	73.00

सेक्टर–5, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवासों की संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	माप (मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फिट)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	MIG-B	01	8.00 X 16.00	97.50	1049.00	51.00
2.	HIG	07	10.00 X 20.00	122.97	1323.00	73.00

नोट : (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। जोकि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बाडी रोड़, आवासीय योजना, धौलपुर की वर्ष 2024–25 की निर्धारित भूमि एवं विकास दर में अनुपातिक वृद्धि जोडकर वर्ष 2025–26 की भूमि एवं विकास दर अनुसार अनुमानित लागत निर्धारण किया गया है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना धौलपुर की मुख्य सड़क बाड़ी रोड़ पर स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1.	रेल्वे स्टेशन	4.0 कि.मी.
2.	बस स्टेण्ड	3.0 कि.मी.
3.	सामान्य अस्पताल	3.0 कि.मी.
4.	मेडिकल कॉलेज	0.5 कि.मी.
5.	गर्ल्स कॉलेज़	1.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवंटित शहर में किसी भी पद्वति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है तो भी वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र होगा।

2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चों पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन हेतु पात्रता रखेगा।

3. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

   (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)

4. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा।

तालिका 2

क्र. स.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग (%)
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग 5%	निराश्रित एंव भूमिहीन (G-11) एकल महिला 10%	
1	G-1 (i)	(अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/ प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 व ि तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
	G-1 (ii)	(अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/ सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय औधौगिक सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/ वीरांगनाये (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2 (i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.97	3.95	39.50
	G-2 (ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कार्मिक	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.42	0.03	0.05	0.50
8	G-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10	वीरता पुरूस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12	परलैंगिक व्यक्ति (Transgender)	1.70	0.10	0.20	2.00

नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2–I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2–I) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रुप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :–

तालिका –3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	बुकलेट कॉस्ट	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	MIG-B	1200001.00 से 1800000.00 तक	510000.00 + 5% GST अर्थात कुल राशि 535500/-	300+18% GST Total 354/-	1500.00+18% GST अर्थात कुल राशि 1770/-	537624/-
2	HIG	1800001.00 से अधिक	730000.00 + 5% GST अर्थात कुल राशि 766500/-	300+18% GST Total 354/-	2000.00+18% GST अर्थात कुल राशि 2360/-	769214/-

नोट अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते है।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौसेना, वायूसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी विरांगनाएं निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते है।

9. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस तालिका 3 के अनुसार देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

10. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

11. इस योजना के अन्तर्गत सभी आवासों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :–

तालिका – 4

क्र.सं.	आवासो का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	MIG-B & HIG	प्रथम किश्त	1 माह	22.50%
		द्वितीय किश्त	4 माह	22.50%
		तृतीय किश्त	7 माह	22.50%
		चतुर्थ किश्त	10 माह	22.50%

आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

12. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामन्यतः आवासों का आवंटन आवेदको के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्ते जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।

13. इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य ''डिपोजिट कार्य'' के तहत से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा।

14. आवेदकों को **तालिका–4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

15. **तालिका–4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नही कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।

16. प्रस्तावित योजना किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नही ले पाती है, तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

17. रिफण्ड

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी। मण्डल द्वारा जीएसटी की राशि रिफण्ड नही की जावेगी।

(iv) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सिमित होगी।

(v) उक्त पंजीकरण योजना रेरा से पंजीकृत है। रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जप्त की जावेगी।

18. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवास का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

19. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

20. **मण्डल निर्मित आवासो की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**

21. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

22. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

    (क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

    (ख) **अन्य खर्चे :**

    (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

    (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।

23. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नही करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

24. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि।

25. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

26. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।

27. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

28. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

29. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

30. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

31. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **rhb.rajasthan.gov.in**के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/– (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/– + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/–)जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

32. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों

की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **rhb.rajasthan.gov.in** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

33. वित्तीय सुविधायें आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

34. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

35. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।

36. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

37. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii. लॉटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा,उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित फ्लैट की अदला–बदली चाहते है तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।

iv. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद /अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद धौलपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

x. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xi. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **http:/rhb.rajasthan.gov.in** पर अवलोकन की जा सकती है।

आवेदक का फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु.......... वर्ष, जाति.............................. निवासी .... एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूंगी।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु.............
..... जाति .... निवासी ....
.(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँः–

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2024–2025 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति ...
.... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2024–25 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला ... .संभाग............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....

2. ....

3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम.. जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ....निवासी.. .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

राजस्थान के विधायकों / सांसदों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों / सांसदों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा सचिवालय

SITE PLAN OF MIG-B HOUSE SIZE 8.0X16.0M
AT SECTOR 4 & 5, BARI ROAD, DHOLPUR

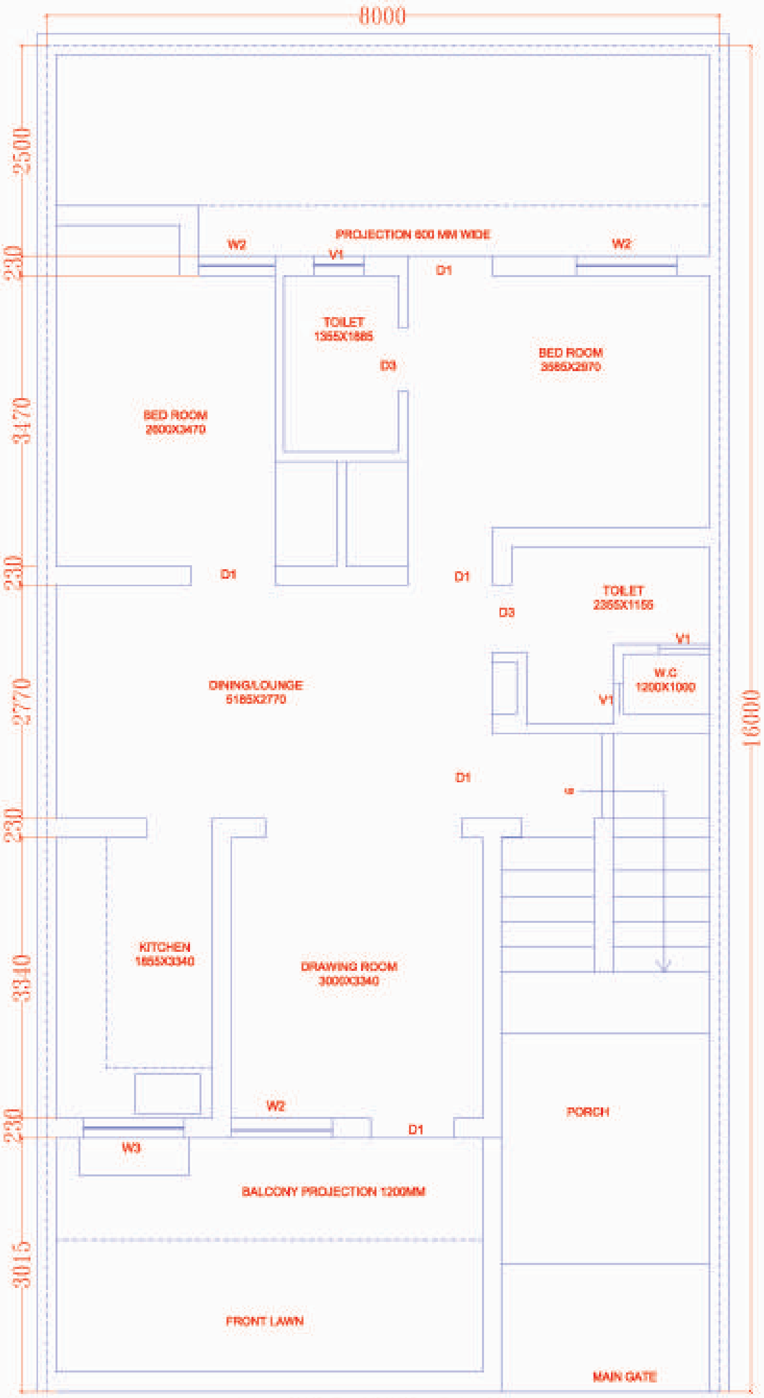

GROUND FLOOR PLAN

House to be fully constructed as per drawing with Stair, Mummty and Compound wall with Main Gate

SITE PLAN OF HIG HOUSE SIZE 10.0X20.0M AT SECTOR 4 & 5, BARI ROAD, DHOLPUR

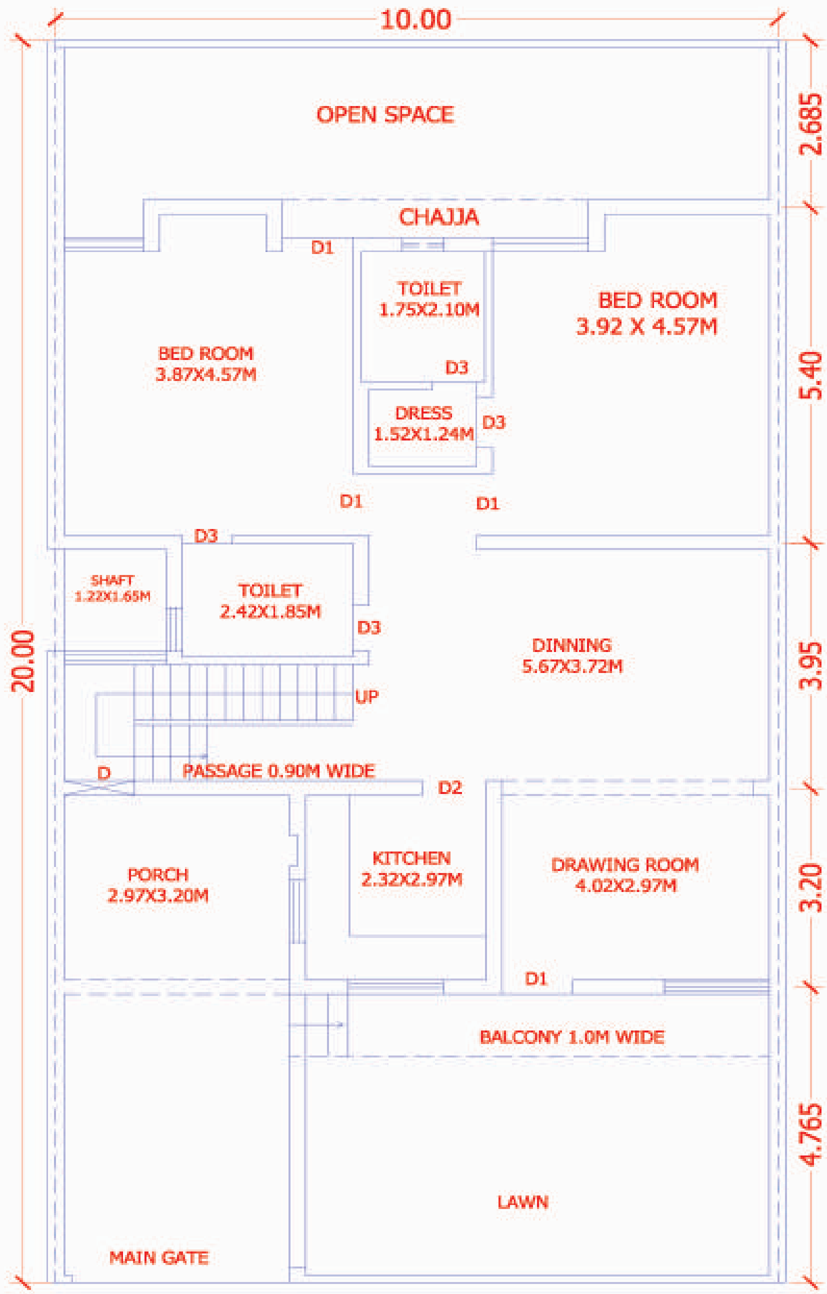

GROUND FLOOR PLAN

House to be fully constructed as per drawing with Stair, Mummty and Compound wall with Main Gate

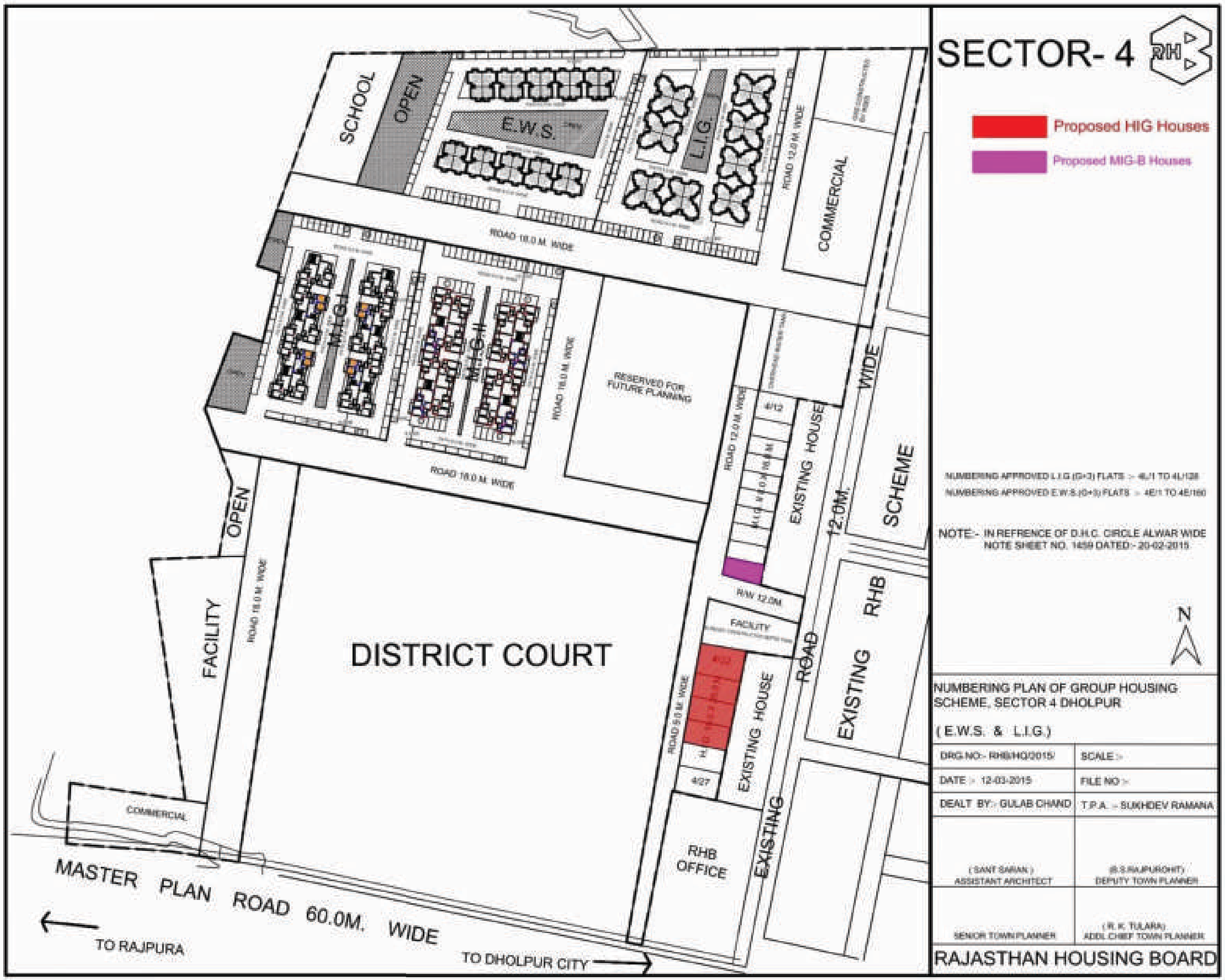

SECTOR- 4
Proposed HIG Houses
Proposed MIG-B Houses
NUMBERING APPROVED L.I.G (G+3) FLATS :- 4L/1 TO 4L/128
NUMBERING APPROVED E.W.S.(G+3) FLATS :- 4E/1 TO 4E/160
NOTE:- IN REFRENCE OF D.H.C. CIRCLE ALWAR WIDE NOTE SHEET NO. 1459 DATED:- 20-02-2015
N
NUMBERING PLAN OF GROUP HOUSING SCHEME, SECTOR 4 DHOLPUR
(E.W.S. & L.I.G.)
DRG.NO:- RHB/HQ/2015/
SCALE :-
DATE :- 12-03-2015
FILE NO :-
DEALT BY:- GULAB CHAND
T.P.A. :- SUKHDEV RAMANA
(SANT SARAN)
ASSISTANT ARCHITECT
(B.S.RAJPUROHIT)
DEPUTY TOWN PLANNER
SENIOR TOWN PLANNER
(R. K. TULARA)
ADDL CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN HOUSING BOARD
SCHOOL
OPEN
E.W.S.
L.I.G.
COMMERCIAL
ROAD 12.0 M. WIDE
ROAD 18.0 M. WIDE
M.I.G.-I
M.I.G.-II
RESERVED FOR FUTURE PLANNING
ROAD 12.0 M. WIDE
4/12
EXISTING HOUSE
12.0M. WIDE
SCHEME
EXISTING RHB
R/W 12.0M.
FACILITY
ROAD
EXISTING HOUSE
EXISTING
4/27
ROAD 9.0 M. WIDE
RHB OFFICE
DISTRICT COURT
OPEN
FACILITY
ROAD 18.0 M. WIDE
COMMERCIAL
MASTER PLAN ROAD 60.0M. WIDE
TO RAJPURA
TO DHOLPUR CITY

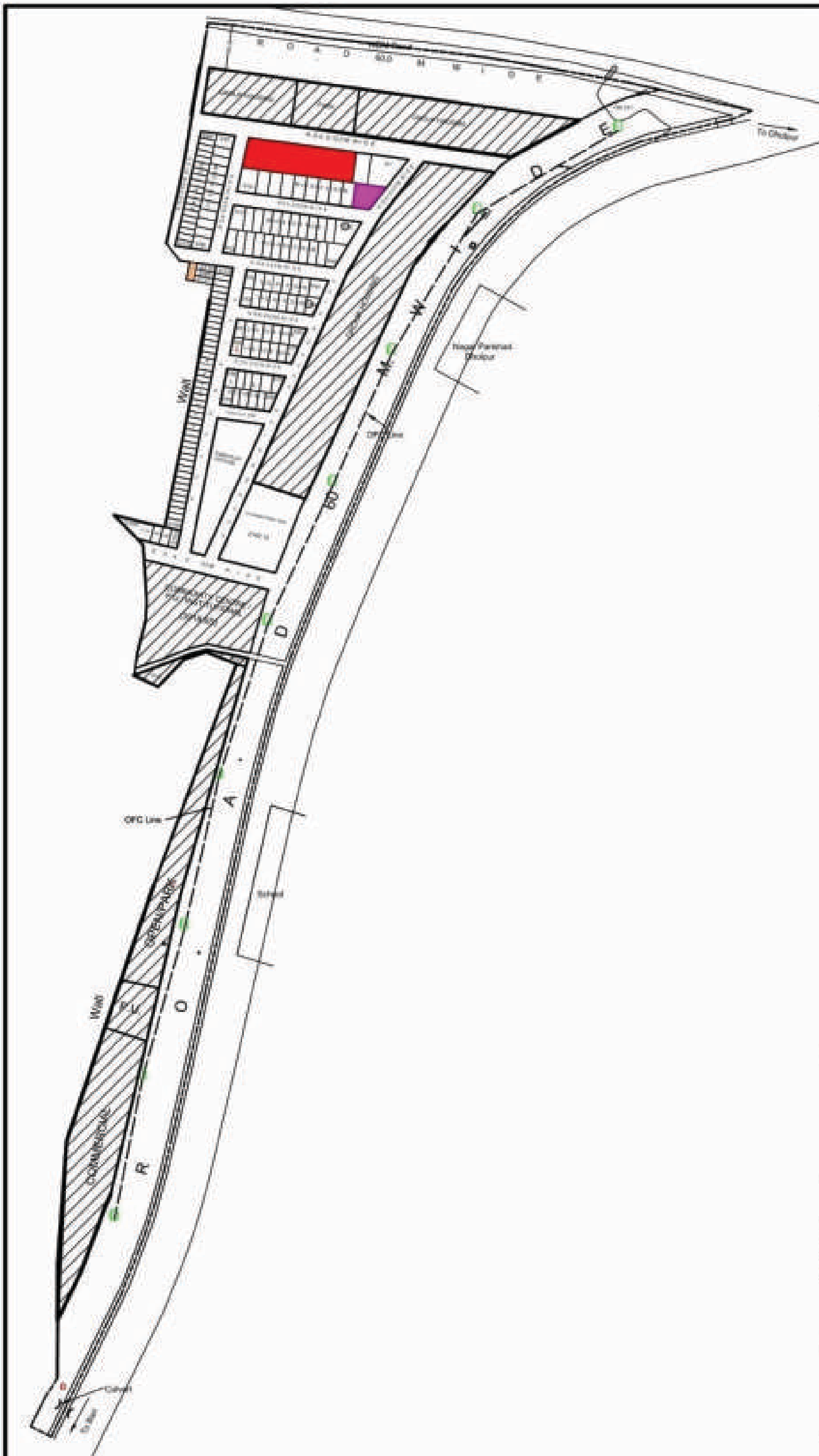

SECTOR - 5

Proposed HIG Houses

Proposed MIG-B Houses

SCHEDULE OF PLOTS

S. NO.	TYPE	SIZE	Nos.
1.	H.I.G.	10.0 X 20.0 M.	9
2.	M.I.G.B	8.0 X 16.0 M.	10
3.	M.I.G.A	6.0 X 16.0 M.	24
4.	L.I.G.	6.0 X 12.0 M.	55
5.	E.W.S.	4.0 X 10.5 M.	65
		TOTAL	163

LAND USE ANALYSIS

S.No.	USES	AREA (IN HECT.)	%AGE
1.	RESIDENTIAL 1.13 / GROUP HOUSING 1.67	2.80	41.73
2.	COMMERCIAL	0.37	5.51
3.	OPEN	0.67	9.99
4.	P.U./COMMUNITY	0.69	10.28
5.	ROAD	2.18	32.49
	TOTAL	6.71	100.00

APPROVED IN 138TH P.C. MEETING HELD ON DATED 18-3-2013 AGENDA ITEM NO. 9

SCHEME BOUNDARY SHOWN AS

N

PROPOSED LAY OUT PLAN OF RESIDANTIAL SCHEME SECTOR 5 DHOLPUR

DRG:- RHB/HQ/2013/	SCALE :-
DATE:- 4-2-2013	FILE NO.:-
DRAWN BY :- GULAB CHAND	CHECKED :-
(SANT SARAN) TOWN PLANNING ASSISTANT	(VEER SINGH CHAUHAN) ASSISTANT ARCHITECT
(RITU GUPTA) SENIOR TOWN PLANNER	(LAVANG SHARMA) ADDL.CHIEF TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD

मूल्य : 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर, राजस्थान आवासन मण्डल,
2–ए–1, एस.टी.सी. योजना भरतपुर

बारी रोड़, धौलपुर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत
सैक्टर 4 व 5 में मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के
स्वतंत्र आवासों हेतु पंजीकरण योजना वर्ष 2025

आवेदक/ आवेदिका का नवीनतम फोटो राजपत्रित/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित

आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक ....

अ	आवेदित सैक्टर का नाम आय वर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है	.....................(सैक्टर 4/सैक्टर 5) .... **(MIG-B/HIG)**
1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	श्री/श्रीमती..
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	श्री..
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधारकार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटो युक्त मान्य दस्तावेज..
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार नम्बर)	....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	वैतनिक .... अवैतनिक ....
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	....दूरभाषनं. ....मोबाईलनं.............. ....ई–मेल पता..
9	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. में) (वित्तीय वर्ष 2024–25) पैन नम्बर, (लागू हो तो)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
10	पंजीकरण राशि रू.	वर्तमान आवेदित आय वर्ग
11	बैंक खाता सं. आई.एफ.एस.सी. कोड	.... दिनांक...............................रू......................... ....
12	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी–1 : वैतनिक श्रेणी (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/ निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यात कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10	जी–2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी–प्रथम (G-2-I)–सामान्य

	वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी वैतनिक श्रेणी–द्वितीय(G-1-II) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल /केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षाबल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/बीरांगनायें (स्थल सैना को प्राथमिकता)	अवैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-2-II)– प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)
	जी–3 : मण्डल कर्मचारी	जी–4 : अनुसूचित जाति
	जी–5 : अनुसूचित जनजाति	जी–6 : वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/ सांसद
	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी–8 : अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी–10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी	जी–12 : परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति
13	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक ऑनलाईन संलग्न करेगे।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)................................... खाता संख्या (सम्पूर्ण)...खाते काप्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):.. बैंक शाखा का पता:.. .... मोबाइल नम्बर..	
14	ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र :	
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (र) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।	
15	घोषणा :–	
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	
	2. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।	
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।	
	4. मकान का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् मकान में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।	
	5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मै निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:–	
	क्र.सं. नाम आयु संबंध	
	प्रथम	
	द्वितीय	
	तृतीय	

आवेदक के हस्ताक्षर

(राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी
पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करें)

स्थान..
दिनांक..

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....
बैंक खाता संख्या सैक्टर 4 हेतु **2211220700000050** आई.एफ.एस.सी.कोड AUBL0002207
बैंक खाता संख्या सैक्टर 5 हेतु **2211220700000051** आई.एफ.एस.सी.कोड AUBL0002207

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर, राजस्थान आवासन मण्डल,
2–ए–1, एस.टी.सी. योजना भरतपुर

स्ववित्त पोषित योजना 2025 सैक्टर– 4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर

1.	आवेदित सैक्टर का नाम आय वर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		..................(सैक्टर 4 / सैक्टर 5) .... **(MIG-B/HIG)**
2.	सैक्टर / कॉलोनी का नाम	:	सैक्टर–4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर
3.	योजना का नाम	:	स्ववित्त पोषित योजना 2025
4.	आवेदक / आवेदिका का नाम	:	....
5.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
6.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	: :	....
7.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र चालान क्रमांक ....

राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना–2025

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर– 4 व 5, बाड़ी रोड़, धौलपुर में स्वतंत्र आवासों हेतु

आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी...

क.सहायक/सहायक　　　　कार्यालय अधीक्षक　　　　स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

(1) Foundarion: RR Stone masonry

(2) Walls: Flyash Brick/Brick masonry walls

(3) Finishing:

- (I) Plaster in cement sand mortar 1:4 / 1:6
- (II) POP & Plastic emulsion paint on inner surfaces
- (III) White cement based putty/Texture paint on exterior surfaces
- (iv) Flush door shutters with ordinary steel fittings & mica laminater
- (v) Wall tiles in toilets
- (vi) MAT/ Vitrified finished tiles
- (vii) Kitchen table top : Granite

(4) Stair Case with covered Mumty

(5) Riser & Trades : Granite Stone

(6) Steel Work:

- (I) Stair Case Railing : Stainless Steel pipe
- (II) Door frames : Pressed steel
- (III) Window : Hollow sheet section

(7) Sanitary

- (I) European W.C.
- (II) Water Tank : PVC 500L, 300L
- (III) Sanitary Pipes : CPVC
- (iv) Bath & Kitchen Fitting : CP Wall mixer, Sink cock, Angular stop cock Central hole basin mixer etc.

(8) Electric

- (I) Conduit Pipe : PVC
- (II) Wiring : Copper Conductor
- (II) Fittings : Modular Accessories

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु

यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

   आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:-

i. आय का प्रमाण पत्र।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।

iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति।

V. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005
info.rhb@rajasthan.gov.in

rhb.rajasthan.gov.in